e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

IJIRSET
International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 11, Issue 6, June 2022

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 8.118

9940 572 462 | 6381 907 438 | ijirset@gmail.com | www.ijirset.com

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 6, June 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1106058 |

भारत की राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की चुनौतियां (नक्सलवाद, आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता)

डॉ सुधीर सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट (पीजी) कॉलेज, राजाखेड़ा, धौलपुर, राजस्थान

सार

आंतरिक सुरक्षा की परिभाषा में क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नक्सलवाद, भाषावाद और अलगाववाद किस प्रकार देश की आंतरिक सुरक्षा में चुनौती बना हुआ है। आंतरिक सुरक्षा को चुनौती या आन्तरिक सुरक्षा या देश की प्रगति में सुरक्षा के मुद्दे क्या क्या है इन सब के बारे में जानेंगे। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों से कैसे निपटा जा सकता है इनके बारे में भी आपको इस लेख में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जानकारी जिनको जानने के लिए आप गूगल का सहारा लेते हैं जिनमे से आज हम बात कर रहे है, भारत की आंतरिक सुरक्षा (Internal Security of India), आंतरिक सुरक्षा का परिचय, भारत की सुरक्षा, भारत की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दें और चुनौतियां की परिभाषा। कोई भी देश तब ही प्रगति की दिशा में आगे बढ़ सकता है जब उस देश के नागरिक अपने देश में सुरक्षित हो। असुरक्षा की भावना ना केवल नागरिकों का जीना दूभर कर देती है बल्कि इससे देश की शांति एवं सुव्यवस्था के साथ-साथ इसकी प्रगति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विश्व के सभी देशों में भारत आज एक ऐसा देश बन चुका है जो तेजी से अपने देश की प्रगति कर रहा है किंतु इसकी आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कुछ ऐसी चुनौतियां है जो इसकी शांति एवं सुव्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगाती है। क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नक्सलवाद, भाषावाद, अलगाववाद ऐसे भारत की आंतरिक सुरक्षा के कुछ खतरनाक चुनौतियां या मुद्दे हैं।

परिचय

भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां क्या क्या है, एक एक कर सभी आंतरिक मुद्दें क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नक्सलवाद, भाषावाद, अलगाववाद की परिभाषा जानते है। क्षेत्र के निवासियों द्वारा अपने क्षेत्र के प्रति निष्ठा रखना, उसे अन्यों से विशिष्ट मानना और क्षेत्रों के हितों के प्रति जागरूक रहना क्षेत्रवाद है, लेकिन इसके संकीर्ण रूप ले लेने पर क्षेत्र बनाम राष्ट्र की भावना जाती है और तब सिर्फ क्षेत्र विशेष की सुविधाओं की इच्छा के कारण यह नकारात्मक अवधारणा बन जाती है। इस तरह क्षेत्रवाद से तात्पर्य किसी क्षेत्र के लोगों की भावना एवं प्रयत्नों से है, जिनके द्वारा वे अपने क्षेत्र विशेष की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आदि शक्तियों में वृद्धि करना चाहते हैं। क्षेत्रवाद हमारी इस राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद के पनप्ने के कई कारण है। भौगोलिक विभिन्नता, आर्थिक असंतुलन, भाषागत विभिन्नता व राज्यों के आकार में असमानता के कारण क्षेत्रवाद की समस्या अधिक तीव्र हुई है एवं प्रथकतावाद को प्रोत्साहन मिला है। विकास में असंतुलन के कारण भी राज्य में मतभेद उभरते हैं। इन सबके अतिरिक्त भारत में जातिवाद के कारण भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला है तथा हरियाणा और पंजाब के उदाहरण हैं।[1]

इतिहास साक्षी है कि अनेक धर्मो, जातियों एवं भाषाओं वाला यह देश अनेक विसंगतियों के बावजूद सदा एकता के सूत्र में बंधा रहा है। यहां अनेक जातियों का आगमन हुआ और उनकी परंपराएं, विचारधाराएं और संस्कृति इस देश के साथ एक रूप हो गई। इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, इसाई सभी परस्पर प्रेम से रहना चाहते हैं, लेकिन भ्रष्ट राजनेता उन्हें बांटकर अपना उल्लू सीधा करने में जुटे रहते हैं। इस तरह धार्मिक कट्टरता के नाम पर कुछ स्वार्थी लोग दूसरे लोगों के दिलों में सांप्रदायिकता की भावना भड़काकर देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 6, June 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1106058 |

वैसे तो आज लगभग पूरा विश्व ही किसी न किसी रूप में आतंकवाद की चपेट में है, किंतु भारत दुनिया भर में आतंकवाद से सर्वाधिक त्रस्त देशों में से एक है। पिछले कुछ दशकों से भारत में आतंकी घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत में आतंकवाद से सर्वाधिक त्रस्त राज्य जम्मू-कश्मीर है। यूं तो जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही आतंकवाद प्रारंभ हो गया था, जिसको पाकिस्तान से हमेशा प्रश्रय मिलता रहा है, किंतु 1986 के बाद इसने गंभीर रूप धारण कर लिया और अब भारत के लिए 'कश्मीर समस्या' सर्वाधिक जवलंत समस्या का रूप धारण कर चुका है। इस आतंकवाद के केंद्र में न केवल अलगाववादी संगठन, बल्कि मुस्लिम कट्टरपंथी एवं पाकिस्तान समर्थित संगठन भी शामिल है।

वैसे तो भारत में नक्सलवाद की शुरुआत स्वाधीनता संग्राम से पहले ही हो चुकी थी, जो साम्यवादी या अन्य क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में यहां अपनी जड़े जमा चुका था, किंतु इसे यह नाम पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी नामक स्थान से मिला। मार्च 1967 में इस गांव के एक आदिवासी किसान बियल किसन के खेत पर स्थानीय भू – स्वामियों ने अधिकार कर लिया। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप उस क्षेत्र के आदिवासियों ने भू स्वामियों के विरुद्ध सशस्त्र विरोध कर दिया। इस विद्रोह को साम्यवादी क्रांतिकारियों का भारी समर्थन मिला। धीरे-धीरे इस तरह के विद्रोह भारत में अन्य जगहों पर भी होने लगे और उन्हें नक्सलवाड़ी में हुए ऐसे प्रथम विद्रोह के नाम पर नक्सलवादी विद्रोह का नाम दिया गया। इस तरह विद्रोह के एक नए रूप नक्सलवाद का प्रादुर्भाव हुआ। प्रारंभ में यह विद्रोह पश्चिम बंगाल तक ही सीमित था, किंतु धीरे-धीरे यह उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी फैल गया। पहले इसका उद्देश्य भी अपने वास्तविक हक की लड़ाई था, किंतु अब यह बहुत ही हिंसक विद्रोह के रूप में देश के लिए एक गंभीर समस्या एवं चुनौती बन चुका है।[2]

देश की आंतरिक सुरक्षा को आज 'नक्सलवाद' से काफी चुनौतियां मिल रही हैं। नक्सलवाद का आगाज़ 60 के दशक में बंगाल के नक्सलबाड़ी आंदोलन के ज़रिए हुआ था। नक्सलवाड़ी गाँव में सामंतों के शोषण के खिलाफ कुछ किसानों ने सशस्त्र विद्रोह कर सामंतों को सज़ा दी, जिसके बाद से इसे नक्सलवाद के नाम से जाना गया।

धीरे-धीरे चारू मजूमदार और कानू सान्याल जैसे नेताओं के नेतृत्व में नक्सलवाद का विस्तार पूरे पश्चिम बंगाल में हुआ लेकिन 70 के दशक के दमन और राज्य में वामपंथी पार्टियों के सत्तारूढ़ होने के बाद भूमि सुधार कार्यक्रम के लागू होने के साथ ही आंदोलन पड़ोसी राज्यों में भी अपने पैर पसारता चला गया। आज देश के कई राज्यों में नक्सलवादी गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जो राष्ट्र के लिए सिरदर्द बनी हुई है।

नक्सल इलाकों में कई तरह की समितियां व टास्क फोर्स गठित जा चुकी हैं और प्रभावित राज्यों के लिए कई विकास योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं लेकिन स्थितियां ज्यों-की-त्यों बनी हुई हैं।

भाषावाद भी राष्ट्रीय सुरक्षा के सम्मुख एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। भाषा व मातृभूमि दो ऐसी चीजें हैं जिससे मनुष्य का जन्मजात प्रेम होता है और इसे भूलना व छोड़ना आसान नहीं है। भारत में हिन्दी, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमी, राजस्थानी, बंगाली, पंजाबी, नेपाली, मणिपुरी, तेलुगू, कोंकणी, कन्नड़ और मलयालम आदि 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं, जिसमें हिन्दी भाषा सर्वत्र बोली और समझी जाती है। वहीं, केंद्र सरकार द्वारा जब सरकारी काम-काज में हिन्दी भाषा का प्रयोग करने का आदेश जारी किया गया तब दक्षिण भारत में इसका कड़ा विरोध हुआ। ज्ञातव्य है कि तमिलनाडु में तो भाषायी प्रश्न को लेकर भारत से अलग होने की मांग भी की गई थी। तोड़-फोड़ व आगजनी के साथ ही कुछ हिन्दी प्रेमियों को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया गया था। इस समस्या को लेकर भारत दो भागों में विभाजित हो गया-उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। यद्यपि भारत की राष्ट्रभाषा समिति ने तीन सूत्री फॉर्मूले को अपनाने का सुझाव दिया जिससे क्षेत्रीय भाषाओं की सुरक्षा हो सके।

इसके अलावा तमाम भाषाओं पर अंग्रेज़ी सर चढ़कर बोल रहा है। यह देखा गया है कि समय-समय पर भाषा संबंधित उलझाव राष्ट्रीय एकता एवं समृद्धि के लिए अपशकुन बन जाता है।[3]

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 6, June 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1106058 |

विचार-विमर्श

भारत बहुभाषी देश है। यहां अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। भाषाओं की बहुलता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि भारत के संविधान में ही 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद बांग्ला भारत में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसी तरह तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, मराठी इत्यादि अन्य भाषाएं बोलने वालों की संख्या भी काफी है। भाषाओं की बहुलता के कारण भाषायी वर्चस्व की राजनीति ने भाषावाद का रूप धारण कर लिया है। इसने अब तक कहीं संघर्षों को जन्म दिया है। विशेषकर दक्षिण भारत के लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का शुरू से विरोध करते रहे हैं एवं विरोध प्रदर्शन के लिए उन्होंने अब तक कहीं आंदोलन भी किए हैं। इस तरह भाषावाद भी हमारी आन्तरिक सुरक्षा के लिए खतरे का रूप लेता जा रहा है।

भारत की संघात्मक व्यवस्था में प्रशासनिक एकरूपता पर बल दिया गया है। किंतु, दुर्भाग्य से देश के कई भागों से नए राज्यों की मांग उठती रही है और नए राज्य न सिर्फ बनते रहे बल्कि एक के बाद एक नए राज्यों की मांग जोर पकड़ती जा रही है। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। उसके पास सन् 2000 आते-आते भारत के कुल राज्यों की संख्या 28 हो गई। ध्यातव्य है कि अधिक अधिकार एवं सुविधाओं के नाम पर अब तक कई राज्यों का विभाजन या पुनर्गठन हो चुका है। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ इत्यादि। इन सबके अतिरिक्त अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, पश्चिम बंगाल से गोरखालैंड,बिहार से मिथिलांचल, असोम से बोडोलैंड, उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल इत्यादि क्षेत्रों को भी राज्यों के रूप में अलग करने की मांग जोर पकड़ते जा रही है।[4]

भारत सरकार का गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामले देखता है। इसके लिए इसके संघटक के रूप में आंतरिक सुरक्षा विभाग का गठन किया गया है जो पुलिस, कानून और व्यवस्था तथा शरणार्थियों के पुनर्वास संबंधित कार्य देखता है। जनवरी 2009 एवं फरवरी 2010 में आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें आंतरिक सुरक्षा की स्थिति एवं इसके खतरों से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद देश के सुरक्षा तन्त्र को सुदृढ़ बनने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए। इनमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी को कार्यात्मक बनाना, चार राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हबो की स्थापना करना जिससे कि किसी संभावित आतंकी हमले से तीव्र एवं प्रभावी ढंग से निपटना सुनिश्चित हो सके, इंटेलिजेंस ब्यूरो की क्षमता को बढ़ाना जिससे यह 24 घंटे कार्य करने योग्य हो सके, केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की क्षमता बढ़ाना तथा तटीय सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है।

देश में लगातार बढ़ रही क्षेत्रवादी प्रवृत्ति की वजह से आंतरिक सुरक्षा भी बड़ी चुनौती बन गई है। क्षेत्रीयता का तात्पर्य उन प्रवृत्तियों सें है जिसके अंतर्गत विभिन्न भाषायी, जातीय व क्षेत्रीय समुदाय राजनैतिक प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टिकोण से स्वायत्तता की मांग करते हैं। भारत में असम, नागालैंड, मिजोरम, पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर मुख्य रूप से क्षेत्रीय आंदोलनों में प्रभावित रहे हैं। स्वाधीनता के पश्चात सन् 1950 के प्रारम्भिक में कुछ सीमित क्षेत्रों में ही क्षेत्रीय अलगाववाद की प्रवृत्ति देखी गई है।

एक अन्य समस्या जो आंतरिक सुरक्षा को समय-समय पर चुनौती देती रहती है, वह है जातिवाद। प्राचीन भारत में वृहत्तर भारत की अवधारणा एवं अनेकता में एकता की प्रवृत्ति ने धीरे-धीरे जातिवाद व क्षेत्रवाद की भावनाओं को प्रोत्साहित किया है। सामाजिक न्याय व दलित उत्थान हेतु मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने तथा जातिगत आरक्षण हेतु देश की कई राज्य सरकारों के मध्य प्रारंभिक प्रतिस्पर्धा ने संपूर्ण भारतीय सामाजिक-व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। आज देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जातिवाद के नाम पर अपनी पहचान बनाने में लगी हैं। यही नहीं, संवैधानिक चुनाव भी जातिवाद के नाम पर लड़े जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश के अंदर अराजकता जैसी घटनाएं घटित होना स्वाभाविक हैं जिससे देश की सुरक्षा को खतरा महसूस किया जा सकता है। हाल ही में राजस्थान में हुआ गुर्जर-मीणा संघर्ष इस तथ्य को उजागर करता है । भारत में हज़ारों जनजातियां निवास करती हैं। जनजाति का तात्पर्य ऐसे स्थानीय आदिम समूहों से है जो एक सामान्य क्षेत्र में रहकर सामान्य भाषा बोलते और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करते हैं। इन जनजातीय समुदायों का पारस्परिक टकराव तथा इनकी दयनीय, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक, राजनैतिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसी मुलभूत समस्याएं राष्ट्र के आंतरिक-आयामों को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करती हैं।[5]

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 6, June 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1106058 |

परिणाम

राष्ट्र की आंतरिक शांति तथा बाहरी दुश्मनों से रक्षा के लिए आंतरिक सुरक्षा की इन चुनौतियों का शीघ्र समाधान परम आवश्यक है। इसके लिए केवल सरकारी प्रयासों से कुछ नहीं हो सकता, प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़कर इसे रोकने का प्रयास करना होगा। यदि हम भारतवासी किसी कारणवश छिन्न-भिन्न हो गए, तो हमारी पारस्परिक फूट को देखकर अन्य देश हमारी स्वतंत्रता को हड़पने का प्रयास करेंगे। यदि आतंकवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता एवं नक्सलवाद जैसी विघटनकारी और विध्वंसकारी प्रवृत्तियों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया गया, तो भारत की एकता और अखंडता पर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। जब देश में कोई भी दो राष्ट्रीय घटक आपस में संघर्ष करते हैं, तो उसका दुष्परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ता है।[6]

अतः भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि इसकी एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हर बलिदान और त्याग करने को तत्पर रहें। हम अपनी चौकन्नी दृष्टि से ऐसे तत्वों को पनपने से रोक सकते हैं। देश के बुद्धिजीवियों और प्रबुद्ध नागरिकों का कर्तव्य है कि वे देश की जनता को इस दिशा में जागरूक का समूचे राष्ट्र की एकता कायम रखने में अपना अमूल्य योगदान दें। चूंकि सशक्त और समृद्ध राष्ट्र ही राष्ट्रीय एकता की आधारशिला होती है इसलिए देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है।

1960 के बाद व्यापक रूप से क्षेत्रीयता की भावनाएं बलवती होने लगीं। सर्वप्रथम पूर्वोत्तर भारत में नागा विद्रोहियों ने अलग राज्य की स्थापना हेतु विद्रोह किया, जिसके पश्चात मद्रास में विशाल आंध्रा आंदोलन तथा द्रविड़ मुनेत्र कडगम का पृथकवादी द्रविड़ आंदोलन हुआ। इन सबके बीच अकाली दल ने इस तरह का विद्रोह किया कि स्वहित के स्थान पर राष्ट्रहित को ताक पर रख दिया गया और हमारी राष्ट्रीय अखंडता खतरे में पड़ गई। इन आंदोलनों की चिंगारी धीरे-धीरे अन्य राज्यों में फैलती गई जिससे वहां के हालात भी बिगड़े। हरियाणा और पंजाब के बटवारे के साथ ही पूरा असम छोटे-छोटे अनेक राज्यों में विभक्त हो उठा।

इसके बाद उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग राज्य दिए जाने की मांग होने लगी जिसके लिए व्यापक आंदोलन चलाए गए। लंबे संघर्ष के बाद उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य अस्तित्व में आए। इन सबके बीच बंगाल 'बंगालवासियों' के लिए, महाराष्ट्र 'महाराष्ट्रवासियों' के लिए, गुजरात 'गुजरातवासियों' के लिए, उत्तराखंड 'उत्तराखंडवासियों' के लिए और झारखंड 'झारखंडवासियों' के लिए जैसे नारे गुंजने लगे।

दूसरी तरफ असम में बांग्ला शरणार्थियों की हो रही घुसपैठ ने यहां के जन-मानस को चिंतित कर रखा है कि कही वे अपने प्रदेश में अल्पसंख्यक बनकर ना रह जाएं।[7]

जम्मू-कश्मीर समस्या सदाबहार बनी हुई है क्योंकि पाक समर्थित तत्वों ने आतंकवाद का सहारा लेकर इस राज्य को भारत से पृथक करने के लिए सुनियोजित अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ रखा है, जो भारतीय सुरक्षा के लिए कड़ी चुनौती है।

जीवन स्तर को उठाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ पुनर्वास के लिए सरकार को एक योजना बनानी चाहिए ताकि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर आदि क्षेत्रों की जनजातियों को कोई भड़का ना सके। देश की आंतरिक सुरक्षा को साप्रदायिकता का घुन भी अक्सर खोखला करता रहता है। भारत और पाकिस्तान के निर्माण के समय से ही दोनों देशों के बीच सांप्रदायिकता बनी हुई है।

भारत में निर्धनता एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका मुख्य कारण बेरोज़गारी, बढ़ती जनसंख्या और देश की आर्थिक स्थिति का ठीक ना होना है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मनुष्य की तीन मुलभूत आवश्यकताएं हैं- रोटी, कपडा और मकान। आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी यह तीनों आवश्यकताएं पूरी नहीं हैं। वैसे सरकार बेरोज़गारी, अशिक्षा और गरीबी हटाने के लिए डंका पीटती रहती है लेकिन धरातल पर इसकी तस्वीर ना के बराबर है। आज भारत का युवा अपनी मुलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और अपनी रोज़ी-रोटी के लिए दर-दर भटक रहा है। आज भारत शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास में तेज़ी से पिछड़ता जा रहा है। सरकार द्वारा 'रोज़गार गारंटी योजना' कार्यक्रम के तहत काम देने की बात तो की जाती है लेकिन शिक्षा के स्तर में सुधार करते हुए रोज़गार की भी बात होनी चाहिए। अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि जब तक देश के अंदर पनप रही कुरीतियों को पनाह मिलती रहेगी, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, तब तक देश की आंतरिक सुरक्षा

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 6, June 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1106058 |

किसी ना किसी प्रकार से असुरक्षित रहेगी। देश के अंदर अमन-चैन बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि लोगों को काम मिले। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उनका शोषण कर उनके खाली दिमाग का लाभ ना जाने कितने शैतान उठाएंगे और देश के नागरिकों को ही देश का दुश्मन बना देंगे।

निष्कर्ष

किसी भी राष्ट्र के जन्म के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रक्रिया का आगाज़ होता है, जो राष्ट्र के जीवन में प्रत्येक पहलू से संबंधित होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से तात्पर्य राष्ट्र की एकता-अखंडता-संप्रभुता एवं नागरिकों के जीवन और उनकी संपत्ति की रक्षा करने से है, जिसे सशस्त्र सेनाओं द्वारा पूरा किया जाता है। किसी भी राष्ट्र को तभी सुरक्षित कहा जा सकता है जब वह आंतरिक खतरों से भी पूर्णतः मुक्त हो। यह उस स्तर के राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, जहां राष्ट्रीय आकांक्षाओं के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं से निपटने में राष्ट्र सक्षम हो जाता है। राष्ट्र की सुरक्षा को बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार से खतरा हो सकता है। बाहर से खतरा होने पर यह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय रक्षा के क्षेत्र में आता है। आंतरिक खतरा 'राष्ट्रीय रक्षा' एवं 'सुरक्षा' दोनों ही क्षेत्रों से संबंधित है। गौरतलब है कि मिराज-2000 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान की सीमा में हमला किया जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और भी तेज़ हो गए हैं। इस हमले में 350 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। भारत एक विशाल संघीय राष्ट्र है, जो अनेक संस्कृतियों को अपने अंदर संजोए हुए है। यहां भिन्न-भिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। आज़ादी के बाद से भारत केंद्रीय सरकार द्वारा शासित एक संप्रभु सशक्त और लोकप्रिय राष्ट्र है, जहां केंद्र एवं राज्यों के मधुर संबंधों से राष्ट्र की एकता को बल मिलता है।[8]

वहीं, राष्ट्र की विशालता एवं प्रांतों के विकास का स्तर अलग-अलग होने से मूल्यों में विभिन्नता स्वाभाविक है। ऐसे में जब राज्य एवं केंद्र की विचारधाराएं एक दूसरे का विरोध करती हैं, तब लोगों में असंतोष की भावना का जन्म होना अनिवार्य है । इस असंतोष को बढ़ावा देने में हमारी राजनैतिक व्यवस्था एवं चुनावी प्रक्रिया मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। असंतोष का प्रमुख कारण सिद्धांतविहीन राजनीति भी है क्योंकि तमाम राजनेता चुनाव जीतने एवं सत्ता प्राप्त करने के लिए अदूरदर्शिता पूर्ण नीति अपनाते हैं।

किसी भी देश की सुदृढ़ता, स्थिरता एवं विकास के लिए राष्ट्रीय एकीकरण को आवश्यक माना जाता है। यह बात भारत पर भी लागू होती है। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को ध्यान में रखकर ही हमारे संविधान में 'राष्ट्र की एकता एवं अखंडता' पर विशेष बल दिया गया है। वस्तुतः राष्ट्र की एकता एवं अखंडता ही एक मजबूत राष्ट्र की आधारशिला होती है। राष्ट्रीय एकीकरण राष्ट्रीय एकता की वह प्रक्रिया है, जो हमें राष्ट्र निर्माण, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, लोकतंत्रीकरण, आधुनिकीकरण एवं बहुआयामी विकास की ओर अग्रसर करती है और समग्रतः राष्ट्रवाद की जड़ों को मजबूत करती है।

अनेक प्रकार की विविधताओं के बावजूद भारत में राष्ट्रीय एकीकरण | की भावना सदैव विद्यमान रही। भारतीय जनमानस में भारतीयता का | बोध सदैव रहा। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्राचीनता को समझने के लिए विष्णु पुराण का यह उद्धरण दृष्टव्य है-

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्।

वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः॥

समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में जो भूखंड है, वह भारत वर्ष है तथा वहां की संतानें भारतीय हैं। भारत में विषमताओं के बावजूद भूमितत्व से समान जुड़ाव एवं भावनात्मक लगाव ने सदैव राष्ट्रीय एकीकरण को पुष्ट किया। प्राचीनकाल में राष्ट्रीयता की जो नींव रखी गई, उसे कोई हिला नहीं पाया। सच तो यह है कि भारतवासियों की राष्ट्रीय एकीकरण की प्रबल भावना से ही विचलित होकर अंग्रेजों ने 'फूट डालो और राज करो' की नीति अपना कर औपनिवेशिक साम्राज्य की जड़ें पुख्ता करने के पुरजोर प्रयास किए, तथापि वे राष्ट्रीय एकीकरण की आत्मा को मार नहीं पाए। भारतवासियों की एकजुटता के आगे अंग्रेज टिक नहीं पाए और अंततः उन्हें भारत छोड़ कर जाना पड़ा।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 6, June 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1106058 |

"राष्ट्रीय एकीकरण राष्ट्रीय एकता की वह प्रक्रिया है, जो हमें राष्ट्र निर्माण, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, लोकतंत्रीकरण, आधुनिकीकरण एवं बहुआयामी विकास की ओर अग्रसर करती है।"

आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (Maintenance of Internal Security Act (MISA)) सन १९७१ में भारतीय संसद द्वारा पारित एक विवादास्पद कानून था। इसमें कानून व्यवस्था बनाये रखने वाली संस्थाओं को बहुत अधिक अधिकार दे दिये गये थे। आपातकाल के दौरान (1975-1977) इसमें कई संशोधन हुए और बहुत से राजनीतिक बन्दियों पर इसे लगाया गया। अन्ततः १९७७ में इंदिरा गांधी की पराजय के बाद आयी जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसे समाप्त किया गया।

केंद्र में सत्ताधारी दल बीजेपी आपातकाल के बहाने विपक्षी दल कांग्रेस को घेरने में लगी है. जून 1975 में लगाया गया आपातकाल शायद कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी जिसका दंश आजतक पार्टी झेल रही है. इस दौरान लगाए गए मीसा कानून के तहत विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, जॉर्ज फर्नांडिस, रविशंकर प्रसाद तक शामिल थे. मीसा कानून साल 1971 में लागू किया गया था लेकिन इसका इस्तेमाल आपातकाल के दौरान कांग्रेस विरोधियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डालने के लिए किया गया. मीसा यानी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम में आपातकाल के दौरान कई संशोधन किए गए और इंदिरा गांधी की निरंकुश सरकार ने इसके जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने का काम किया. मीसा बंदियों से भरी जेलें मीसा और डीआरआई के तहत एक लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया. आपातकाल के वक्त जेलों में मीसाबंदियों की बाढ़ सी आ गई थी. नागरिक अधिकार पहले ही खत्म किए जा चुके थे और फिर इस कानून के जरिए सुरक्षा के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया गया, उनकी संपत्ति छीनी गई. बदलाव करके इस कानून को इतना कड़ा कर दिया गया कि न्यायपालिका में बंदियों की कहीं कोई सुनवाई नहीं थी. कई बंदी तो ऐसे भी थे जो पूरे 21 महीने के आपातकाल के दौरान जेल में ही कैद रहे. लालू की बेटी का नाम पड़ा मीसा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी आपातकाल के दौरान मीसा बंदी रहे. इस बीच साल 1976 में जन्मीं उनकी बड़ी बेटी का नाम भी इसी कानून की वजह से मीसा भारती रखा गया. मीसा फिलहाल पार्टी की ओर से राज्यसभा सदस्य हैं.

जेटली ने याद किए दिन मोदी सरकार में मंत्री अरुण जेटली भी मीसा बंदी रह चुके हैं. उन दिनों को याद करते हुए जेटली ने लिखा, 'मुझे 26 जून 1975 की सुबह एकमात्र विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का गौरव मिला और मैं आपातकाल के खिलाफ पहला सत्याग्रही बन गया. मुझे यह महसूस नहीं हुआ कि मैं 22 साल की उम्र में उन घटनाओं में शामिल हो रहा था जो इतिहास का हिस्सा बनने जा रही थीं. इस घटना ने मेरे जीवन का भविष्य बदल दिया. शाम तक, मैं तिहाड़ जेल में मीसा बंदी के तौर पर बंद कर दिया गया था.' आपातकाल लागू होने के साथ ही ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई जिनकी गिरफ्तारियां होनी थीं. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई का था. इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी को ये लिस्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया. सुबह होती इससे पहले ही जेपी और मोरारजी देसाई को मीसा के तहत जेल में डाल दिया गया. अगले 21 महीने दमन की दास्तां जारी रही. जेल में तैयार हुआ विपक्ष मीसा बंदियों ने जेलों में यातनाएं झेलीं जरूर लेकिन इंदिरा सरकार को सत्ता से बेदखल करने की शुरुआत भी इन्हीं कैदियों ने की. जेपी से लेकर, चंद्रशेखर, वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू यादव, एलके आडवाणी, शरद यादव जैसे नेताओं ने जेल से बाहर आते ही इंदिरा सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया. विपक्षी नेताओं की लड़ाई निर्णायक मुकाम तक पहुंची. मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी का गठन हुआ और 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी. इंदिरा खुद रायबरेली से चुनाव हार गईं और कांग्रेस 153 सीटों पर सिमट गई. नई सरकार के गठन के साथ ही दमनकारी कानून मीसा को हटा दिया गया. मीसा बंदियों को पेंशन आपातकाल के दौरान भी गैर कांग्रेसी राज्यों की सरकार मीसा में बंद किए गए लोगों को पेंशन देने का काम करती थी. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकारों ने डीआरआई और मीसा में बंद कैदियों को 15 हजार रुपये पेंशन देना शुरू किया. इसके बाद साल 2014 में राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने भी 800 मीसा बंदियों को 12 हजार रुपये प्रति माह की पेंशन देने का फैसला किया. बीजेपी देशभर में आज भी आपातकाल की बरसी पर मीसा बंदियों को सम्मानित करती है.[8]

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118|

||Volume 11, Issue 6, June 2022||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2022.1106058 |

संदर्भ

1. विनय कुमार (13 अप्रैल 2010)। "राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन" । द हिंदू । 5 मार्च 2012 को लिया गया ।
2. ^ "राष्ट्रीय एकता परिषद, 2013 के सदस्यों की सूची" (पीडीएफ) । भारत सरकार ।
3. ^ ए बी "राष्ट्रीय एकता परिषद (एनआईसी)" (पीडीएफ) । गृह मंत्रालय। 2013. 28 सितंबर 2011 को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत । 5 मार्च 2012 को लिया गया ।
4. ^ "राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन" . द हिंदू । 2 फरवरी 2005। 25 जनवरी 2013 को मूल से संग्रहीत । 5 मार्च 2012 को लिया गया ।
5. ^ भाम्भरी, सीपी (18 अक्टूबर 2008)। "भारत की घेराबंदी" । द इकोनॉमिक टाइम्स । 29 अक्टूबर 2018 को लिया गया ।
6. ^ "दिल्ली में आज पंद्रहवीं राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक" । एनडीटीवी । 10 सितंबर 2011 । 5 मार्च 2012 को लिया गया ।
7. ^ "एनआईसी की बैठक में सांप्रदायिक विधेयक पर हमला" । इंडियन एक्सप्रेस । 10 सितंबर 2011 । 5 मार्च 2012 को लिया गया ।
8. ^ "चिदंबरम राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष नियुक्त" . एक भारत । 19 अक्टूबर 2010 । 5 मार्च 2012 को लिया गया ।

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor: 8.118

doi crossref

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर
NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com

Scan to save the contact details

www.ijirset.com